बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– संचिका सं0–रे0 / यो0–स्वीकृति –40 / 16

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

विषय– भागलपुर में हस्तकरघा एवं रेशम भवन निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए कुल लागत रू0 13,64,00,000 / –(तेरह करोड़ चौंसठ लाख) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवशेष राशि रू0 4,14,00,000 / –(चार करोड़ चौदह लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा भागलपुर, में हस्तकरघा एवं रेशम भवन निर्माण एवं अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए कुल लागत रू0 13,64,00,000 / –(तेरह करोड़ चौंसठ लाख) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवशेष राशि रू0 4,14,00,000 / –(चार करोड़ चौदह लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय राज्यादेश संख्या 1151 दिनांक 21.03.2017 द्वारा इसी कार्य के लिए रू0 9,50,00,000 / – (नौ करोड़ पचास लाख) मात्र स्वीकृत किया गया था।

2. उपर्युक्त स्वीकृत अवशेष राशि रू0 4,14,00,000 / –(चार करोड़ चौदह लाख) मात्र मुख्यशीर्ष 4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष 107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष 0103–रेशम भवन, विपत्र कोड 23–4851001070103 के 0103.53.01 मुख्य निमार्ण कार्य मद से विकलित होगा जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से BTC–51 प्रपत्र पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम की जाएगी, जो उनके विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना कोषागार में संधारित उनके PL खाता संख्या– PLA238 में जमा किया जाएगा। राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.11 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस राशि की स्वीकृति मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से उनके पत्रांक 234 (अनु0) दिनांक 29.01.2018 से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर दी जा रही है। इस प्राक्कलन पर उनका तकनीकी अनुमोदन दिनांक 27.01.2018 को दिया गया है। अविलंब निर्माण शुरू करते हुए न्यूनतम समय में निर्माण पूरा कर लेना होगा।

5. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / जिला पदाधिकारी, भागलपुर इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

6. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राज्यादेश संचिका संख्या–रे0/यो0–स्वीकृति–40/16 के पृष्ठ 48/टि0. पर दिनांक 19.03.2018 को प्राप्त आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका– 2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/यो0–स्वीकृति –40/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/यो0–स्वीकृति –40/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/यो0–स्वीकृति –40/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/अपर निदेशक (तक0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/यो0–स्वीकृति –40/16 1216 पटना, दिनांक– 20.03.18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा–1(स0)/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(16)

आउटडोर मैनेजर

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

M/Rajyadesh